

.....राज्य के (स्पष्ट अक्षरों में)..... डाकघर में
 डाक बचत बैंक लेखा सं०.....में जमा करके
 (vi) सदस्य का पूरा पता जहां धन भेजने हैं/पत्र व्यवहार किया जाना है।
 गांव.....डाक घर..... जिला.....
 राज्य.....

or By cash at the office of the fund _____

Colliery

or By deposit in postal saving bank A/C.

No. _____ at _____ Post office in the State of _____

(vi) Full address of the member, where (in block capitals)

remittance/correspondence is to be made village _____

P.O. _____ Distt. _____ State _____

(vii) खरीदने के लिए प्रस्वावित स्थल/मकान की अन्तिम तय की गई कीमत:.....रु०

(viii) Tentatively agreed price of the site/house Rs. _____
 proposed to be purchased.

ग. शर्तें एवं घोषणा / C. CONDITIONS & DECLARATIONS

- ii) मैं निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ -
- क) जिस प्रयोजन के लिए आवेदन किया है उसी के लिए अग्रिम राशि उपयोग की जायेगी।
- ख) जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है यदि वह वास्तविक व्यय से अधिक है तो खरीददारी पूर्ण करने के बाद 30 दिन के भीतर अतिरिक्त राशि कोयला खान भविष्य निधि लेखा में वापस कर दी जाएगी।
- ग) आहरण से छह माह के भीतर या ऐसी बनाई गई अवधि के भीतर जिसकी कि आयुक्त या उनकी ओर से किसी प्राधि प्राधिकृत अधिकारी ने स्वीकृति दी हो, खरीददारी पूरी की जानी चाहिए।
- घ) अग्रिम राशि उस स्थल या मकान को खरीदने के लिए उपयोग नहीं की जायेगी जो एनकम्बरेंस से मुक्त न हो और/था जो संयुक्त संपत्ति का भाग हो।
- ङ) निर्दिष्ट खरीददारी से संबंधित ऐसे हक अभिलेख जवसे अन्य दस्तावेज एवं सूचनाएं, जैसे ही इन्हें समय-समय पर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांगा जाए तो उनके मांगने पर उसे प्रस्तुत किए जाएंगे।
- च) खरीददारी को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद ही पत्र ९० डी० वी० ९ में एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- छ) यदि खरीददारी वास्तव में नहीं की जाती है या इसमें कोयला खान भविष्य निधि योजना का उल्लंघन किया जाता है या यहाँ उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अग्रिम की संपूर्ण राशि सब्याज निधि में वापस की जाएगी और उस अग्रिम पर ऐसे ब्याज की दर आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम वित्त वर्ष का लागू दर प्रति वर्ष होगी।
- (i) I undertake to comply with the following conditions :-
- (a) The amount of advance shall be utilised for the purpose applied for.
- (b) If the amount of advance is in excess of the actual expenditure incurred for the purpose for which the advance is sanctioned the excess shall be refunded to the Coal Mines Provident Fund within 30 days of the completion of the purchase.
- (c) The purchase shall be completed within 6 months of the withdrawal or within such extended time as may be allowed by the Commissioner or any officer authorised by him in his behalf.
- (d) The amount of advance shall not be utilised for purchasing a site or house which is not free from encumbrances and/or which is a share in a joint property.
- (e) Such title deeds, plans other documents and information related to the intended purchase as may be called for by the Commissioner or any Officer authorised by him from time to time shall be furnished to him on demand.
- (f) A completion report in Form ADV-9 shall be furnished immediately on finalisation of the purchase.
- (g) If the purchase does not materialise or if there is any breach of any of the conditions specified herein of in the Coal Mines Provident Fund Scheme the amount of the advance together with interest thereon at such rate not exceeding applicable rate for the CPE per annum as may be fixed by the commissioner shall be refunded to the Fund.
- (l) मैं घोषणा करता हूँ कि :-
- क) मेरा अपना निजी निवास गृह है/नहीं है।